उत्तर प्रदेश शासन

कर एवं निबंधन अनुभाग-4

संख्या-8/2015/क0नि0-4-388 /11-2015-30(7)/14टीसी

लखनऊः दिनांक: 26 फरवरी, 2015

कार्यालय-आदेश

श्री म़त्युन्जय कुमार सिंह, सदस्य (विभागीय), वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2 कानपुर को वैट अधिनियम एवं नियमों में समय-समय पर हो रहे संशोधन जी0एस0टी0 सम्बन्धी कार्यों एवं नवप्रवेशी अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु तात्कालिक प्रभाव से आयुक्त, वाणिज्य कर के साथ वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में कार्य किये जाने हेतु दिनॉक-30मई, 2015 (अर्थात सेवानिव़त्ति की तिथि) तक सम्बद्ध किया जाता है। श्री सिंह वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2 कानपुर की जनशक्ति पर रहते हुए वाणिज्य कर विभाग में कमिश्नर वाणिज्य कर के निर्देशाधीन प्रशिक्षण के कार्यों को सम्पादित करेंगे।

श्री राज्यपाल की ओर से,

गीता मिश्रा,

विशेष सचिव।

संख्याः8/2015/क0नि0-4-388 (।)/11-2015, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. महालेखाकार लेखा (द्वितीय) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. आयुक्त, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अध्यक्ष, वाणिज्य कर कर अधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि वह सम्बद्धीकरण के स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
5. निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0लखनऊ।
6. कर एवं निबन्धन अनुभाग-1
7. सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली/गार्ड फाइल।
8. निदेशक,मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को सरकारी गजट (असाधारण) के आगामी अंक में प्रकाशित करायें।

आज्ञा से,

धीरेन्द्र कुमार वर्मा,

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in